न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/59 दायरा दिनांक : 06.04.2021

उनवान

1– बनवारीलाल पुत्र प्रेमचन्द, आयु 42 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2– ओमप्रकाश पुत्र प्रेमचन्द, आयु 39 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3– निर्मला बाई पुत्री प्रेमचन्द पत्नि बुद्धिप्रकाश, आयु 37 वर्ष, जाति धाकड, निवासी बसन्तखेडी, पोस्ट रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां राजस्थान
4– सीमाबाई पुत्री प्रेमचन्द पत्नि कृष्णमुरारी, आयु 32 वर्ष, जाति धाकड, निवासी पाटुन्दा, पोस्ट पाटुन्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
5– कान्तिबाई पत्नि प्रेमचन्द, आयु 65 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलार्थीगण (अपीलांट)

बनाम

1– नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2– भीमराज पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3– बृजमोहन पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
4– कमलाबाई पुत्री रामनाथ, जाति धाकड, निवासी खजूरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
5– उदयलाल पुत्र बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6– रूकमणी बैवा बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7– शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति धाकड, निवासी देवरीजोध, पोस्ट गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
8– रमेशचन्द पुत्र कन्हैया लाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
9– नवलकिशोर पुत्र कन्हैया लाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
10– कान्ति बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि रामकिशन, जाति धाकड, निवासी खेडी पोस्ट गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
11– ललताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि रामकिशन, जाति धाकड, निवासी खेडी पोस्ट गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
12– भूलीबाई पत्नि धन्नालाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
13– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां, तहसील खानपुर
14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... प्रत्यर्थीगण (रेस्पोडेंट)

अपील संख्या 2021/60 दायरा दिनांक : 06.04.2021

उनवान

1– बनवारीलाल पुत्र प्रेमचन्द, आयु 42 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2– ओमप्रकाश पुत्र प्रेमचन्द, आयु 39 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3– निर्मला बाई पुत्री प्रेमचन्द पत्नि बुद्धिप्रकाश, आयु 37 वर्ष, जाति धाकड, निवासी बसन्तखेडी, पोस्ट रातडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां राजस्थान
4– सीमाबाई पुत्री प्रेमचन्द पत्नि कृष्णमुरारी, आयु 32 वर्ष, जाति धाकड, निवासी पाटुन्दा, पोस्ट पाटुन्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
5– कान्तिबाई पत्नि प्रेमचन्द, आयु 65 वर्ष, जाति धाकड, निवासी सारोला कलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलार्थीगण (अपीलांट)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाम

1– नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2– भीमराज पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3– बृजमोहन पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
4– कमलाबाई पुत्री रामनाथ, जाति धाकड, निवासी खजूरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
5– उदयलाल पुत्र बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6– रूकमणी बैवा बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7– शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति धाकड, निवासी देवरीजोध, पोस्ट गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
8– रमेशचन्द पुत्र कन्हैया लाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
9– नवलकिशोर पुत्र कन्हैया लाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
10– कान्ति बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि रामकिशन, जाति धाकड, निवासी खेडी पोस्ट गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
11– ललताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि रामकिशन, जाति धाकड, निवासी खेडी पोस्ट गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
12– भूलीबाई पत्नि धन्नालाल, जाति धाकड, निवासी सारोला कलाँ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
13– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां, तहसील खानपुर
14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... प्रत्यर्थीगण (रेस्पोडेंट)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री महावीर मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री शिव प्रसाद आर्य, श्री चन्द्रशेखर कक्कड अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.07.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 810/दावा/2016 (पूर्व मिसल नं. 799/2014) निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 02.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खतौनी सं. नयी 37 पुरानी 39 खसरा नं. 1407 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 1811 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 1812 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 1974 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 2024 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 2028 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 2029 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 2030 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2031 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 2099 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 2102 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 2103 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 2187 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 75 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम सारोलाकलां, तहसील खानपुर वादी तथा प्रतिवादीगण 01 लगायत 15 के शामलाती खाते, कब्जे व काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 व फाईनल

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री दिनांक 02.01.2019 वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2021/59 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट एकपक्षीय रूप से डिक्री फरमाकर ग्राम सारोलाकलां की खाता सं. 37 की 13 किता की रकबा 75.18 बीघा आराजी में से वादी के 1/15 हिस्से के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री फरमाकर विभाजन प्रस्ताव तलब फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित कोई नोटिस/सम्मन प्रतिवादी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हुआ है और न ही अपीलांट्स ने ऐसे किसी सम्मन को लेने से इंकार किया है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलांट्स पर सम्मन की प्रोपर तामील हुए बिना ही अपीलांट्स के विरूद्ध गैर कानूनी रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील सादर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी दिनांक 10.06.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने के बाद विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पुनः प्रतिवादीगण अपीलांट्स को तलब किए बिना ही प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में ही एकपक्षीय रूप से वाद को अवैध एवं गैर कानूनी रूप से पुनः दर्ज रजिस्टर (रेस्टोर) किये जाने का आदेश प्रदान कर खिलाफ कानून जाकर दावा वादी डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादीगण अपीलांट्स वाद वर्णित आराजी के खातेदार कृषक है तथा काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण अपीलांट्स उक्त वाद को कन्टेस्ट करना चाहते हैं तथा समुचित जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रतिरक्षा करना चाहते है इस हेतु प्रतिवादी अपीलांट्स को अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं विधि सम्मत है।

अपील संख्या 2021/60 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत विभाजन का वाद एकपक्षीय रूप से डिक्री फरमाकर उक्त वाद में अवैध एवं गैरकानूनी रूप से मौके व कब्जे के विपरीत ग्राम सारोलाकलां, तहसील खानपुर की खसरा नं. 1407 की बीघा 0.07 बीघा पूर्व दिशा, खसरा नं. 2031 की 1.08 बीघा पूर्व दिशा, खसरा नं. 2102 की रकबा 3.02 बीघा दक्षिण दिशा, खसरा नं. 2103 की रकबा 0.04 बीघा उत्तर पश्चिम दिशा की कुल 4 किता की 5.01 बीघा भूमि वादी नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ के पृथक खाते दर्ज किये जाने बाबत विभाजन की अंतिम डिक्री पारित फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत दावा प्रतिवादीगण अपीलांट्स पर सम्मन की प्रोपर तामील हुए बिना ही गैर कानूनी रूप से उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया था। उक्त वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होने के बाद प्रतिवादीगण अपीलांट्स को तलब किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से खिलाफ कानून जाकर दावा वादी पुनः नम्बर पर लिये जाने (रेस्टोर) किये जाने का आदेश प्रदान कर निर्णय डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की थी। प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय डिफेक्टिव होने से उसके आधार पर एकपक्षीय रूप से पारित अंतिम निर्णय व डिक्री भी अवैध व कानूनी होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई विभाजन प्रस्तुत रिपोर्ट प्रतिवादीगण अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मौके व कब्जे की स्थिति के विपरीत मनमाने तौर पर अक्षम व्यक्ति हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई थी। विभाजन प्रस्तुत रिपोर्ट सक्षम व्यक्ति तहसीलदार साहब द्वारा उक्त पक्षकारान को तलब किये बिना तथा मौके पर जाकर मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तैयार नहीं की गई थी इस कारण उक्त रिपोर्ट अवैध एवं गैर कानूनी तथा त्रुटि पूर्ण होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अवैध एवं त्रुटि पूर्ण रिपोर्ट का आधार बनाकर प्रतिवादीगण अपीलांट्स को उक्त रिपोर्ट बाबत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई उक्त प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट एकपक्षीय अवैध त्रुटि पूर्ण थी जो प्रतिवादीगण अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट में वादी रेस्पोडेंट कम 1 को मनमाने तौर पर नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के बजाय सुपुरियर लैण्ड दी गई है जिससे प्रतिवादीगण अपीलांट्स के हक काश्त व कब्जे के अधिकार प्रभावित हुए है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट पूर्णतया मनमानी, पक्षपातपूर्ण, मौके व कब्जे की स्थिति के विपरीत अक्षम व्यक्ति द्वारा त्रुटि पूर्ण रूप से तैयार की गई थी, जिसे आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित फरमाने में त्रुटि की है।

अतः दोनों अपीले प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.06.2018 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त मुकदमें में अपीलांट्स को सुनवायी व जवाबदेही का अवसर प्रदान कर मुकदमें को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.01.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों अपीलों में अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 08.09.2015 को प्रतिवादी नं. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मन तामील का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधिकाश सम्मन मुरारीलाल नाम के व्यक्ति को तामील कराये गये हैं जिसे

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किसी का भाई, किसी का भतीजा तथा किसी का पौत्र अंकित किया गया है। किसी एक ही व्यक्ति को समस्त सम्मनों की तामील होना विधिवत तामील होना नहीं माना जा सकता। सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी अन्य व्यक्ति पर तामील करायी जाती है तो दो गवाहों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है जो प्रस्तुत प्रकरण में सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा सम्मनों की विधिवत तामील हुए बिना ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 10.06.2016 के अनुसार वाद अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया गया तत्पश्चात दिनांक 04.08.2016 की आदेशिका से वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। किन्तु समस्त पक्षकारों की तलबी नहीं करवायी गयी। नियमानुसार जब प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया है तो ऐसी स्थिति में समस्त पक्षकारों की तलबी पुनः करवाना आवश्यक था जो नहीं करवायी गयी है। अंतिम डिक्री बनाते समय बंटवारा रिपोर्ट में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। बंटवारा रिपोर्ट पटवारी सारोलाकलां के द्वारा दिनांक 24.06.2018 को बनायी गयी जिस पर नायब तहसीलदार के द्वारा मात्र हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त बंटवारा रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक था, जो नहीं सुना गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय तथा विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2021/59 एवं 2021/60 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 02.01.2019 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा